<u>**शेयरधारकों के लिए सुविधा एवं विकल्प :**</u>

- शेयर अंतरण
- शेयर प्रेषण
- शेयर का अमूर्तीकरण
- लाभांश वारंटों पर बैंक विवरण
- लाभांश विप्रेषण हेतु इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस
- इलेक्ट्रानिक शेयर होल्डिंग पर बैंक विवरण
- अदावी लाभांश
- नामांकन सुविधा
- पते में परिवर्तन
- शेयर प्रमाणपत्र का विभाजन
- शेयर प्रमाणपत्रों का समेकन
- शेयर प्रमाणपत्र की क्षति और अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना
- प्रमाणपत्रों का नवीकरण (कटे-फटे प्रमाणपत्र के बदले में नए प्रमाणपत्र देना)

शेयरों का अंतरण : सेबी द्वारा दिये गये निदेशों के अनुपालन में दि. 26 जून 2000 से, निवेशकों के लिए हमारे बैंक के शेयर का व्यापार हेतु, अमूर्त रूप में होना अनिवार्य बनाया गया है, इससे शेयरधारकों को बेहतर सुरक्षा एवं तरलता प्राप्त होती है। शेयरधारकों को स्टॉक मार्केट द्वारा अपने शेयर की बिक्री करने के लिए, उसे अमूर्तीकरण करना आवश्यक होगा।

शेयरधारक जिनके पास भैतिक रूप में शेयर है, वे निर्धारित प्रपत्र में, अंतरण प्रलेख निष्पादन करते हुए, अपने शेयरों का अंतरण कर सकते है। अपने पक्ष में शेयर के अंतरण हेतु अंतरण को संपूर्ण रूप से निष्पादित तथा भरे हुए अंतरण प्रलेख को, मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ, हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कैंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद को प्रस्तुत करें।

शेयरों का प्रेषण : छोटे निवेशकों के भौतिक शेयरों के अंतरण को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक द्वारा 2000 शेयर या रु.1,00,000 मार्केट मूल्य का शेयर जो भी कम हो, उन पर इच्छा पत्र/ प्रशासन पत्र/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि की छूट दी गई है। मृत शेयरधारक के उत्तराधिकारी, जिन के पास 2000 शेयर या शेयरों जिसका बाजार मूल्य रु.1,00,000 से अधिक है, उन्हें, अपने नाम पर शेयर प्रेषण करने के लिए निम्नलिखित प्रलेखों को प्रस्तुत करना होगा।

1. प्रेषण हेतु अनुरोध
2. नोटरी से मृत प्रमाणपत्र की प्रति
3. उचित गैर-कानूनी स्टॉप पेपर पर लिखा हुआ क्षतिपूर्ति पत्र
4. उचित गैर-कानूनी स्टॉप पेपर पर लिखा हुआ हलफनामा

5. बैंक के द्वारा स्वीकृत व्यक्ति से प्रतिभूति व्यवस्था
6. (i) उत्तराधिकारी, जिसे ऐसे अंतरण पर कुछ आपत्ति नहीं है, उनसे अनापत्ति प्रमाणपत्र
   (ii) नामांकन के मामले में नामिति का क्षतिपूर्ति प्रमाण
7. मूल शेयर प्रमाणपत्र

शेयरों का अमूर्तीकरण : बैंक ने बैंक शेयरों का अमूर्तीकरण के जारीकर्ता कंपनी हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा डिपोजिटरी लिमिटेड(एन एस डी एल) एवं केंद्रीय डिपोजिटरी सर्वीसेस(इंडिया) लिमिटेड(सी डी एस एल) के साथ एक करार किया है। शेयरधारक को, अपने शेयर को अमूर्त करने के लिए, इन निक्षेपगार सहभागियों में से किसी एक के साथ डिमेट खाता खोलना होगा। शेयरधारक अपने संबंधित शेयरों को अमूर्तीकरण हेतु डिपोजिटरी सहभागियों के द्वारा रजिस्ट्रार अथवा शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ अपना अनुरोध कर सकते है।

लाभांश वारेंट के बैंक विवरण : अगर आप ने ई सी एस सुविधा का विकल्प नहीं लिया है या आके द्वारा सूचित की गई उस शाखा का नाम ई सी एस सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है और लाभांश वारेंट पर बैंक विवरण जोडना चाहते है तो, आपके विवरण दीजिए। हम यह आश्वासन देना चाहते है कि, हमारे लाभांश पत्र, आपके नाम, पता एवं बैंक खाता आदि विवरण के साथ, आपके पते पर भेज दिया जाएगा। विश्वास दिलाते है कि आपके द्वारा दी गई सूचना गोपनीय रखी जाएगी और केवल लाभांश के प्रेषण के लिए उसका प्रयोग किया जायेगा। लाभांश वारेटों की छलपूर्ण भुगतान से सुरक्षा के लिए, शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि, अगर पहले न दिया हो तो, अपने बैंक खाता संख्या, बैंक शाखाओं के नाम एवं पता, फोलियो नंबर, आदि विवरण बैंक के निवेशक संपर्क केंद्र/हमारे रजिस्ट्रार, मेसर्स कार्वी कैंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को सूचित करें ताकि हम उसे लाभंश वारेंट में सम्मिलित करने में सशक्त हो सकें।

इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) - लाभांश प्रेषण हेतु : सिंडिकेटबैंक के शेयरधारक जो भैतिक रूप में शेयर रखते है, वे , भारतीय रिज़र्व बैंक (भा रि बैंक) के ई सी एस योजना द्वारा ई सी एस सुविधा के जरिए लाभंश को सीधे अपने बैंक खाते में डलवा सकते है

ई **सी एस सुविधा की मुख्य लक्षण** :

- ❖ इस सुविधा के अंतर्गत बिना अतिरिक्त शुल्क के, इलेक्ट्रानिक माध्यम से लाभांश वारेंट की रकम तुरंत आपके बैंक में जमा हो जाती है। ई सी एस सुविधा से डाक से होनेवाली विलंब और वारेंटों के गलत भुगतान को भी दूर कर सकते हैं।

- ❖ इस सुविधा के अंतर्गत आपको देय लाभांश रकम को सीधे आपके बैंक खाता में जमा किया जाएगा। आपकी बैंक शाखा इस लेन-देन को 'ई सी एस सिंडिकेटबैंक'के नाम पर आपके पास बुक/लेन देन विवरण में सूचित करेगा।

❖ रु.1,00,000/- तक के लाभांश रकम प्रेषण हेतु यह सुविधा उपलब्ध है।

अगर आपको इस विकल्प में रुचि हो तो, आपसे अनुरोध है कि, पूर्ण रूप से भरे हुए ई सी एस फार्म/प्रपत्र (जो हमारे रजिस्ट्रार शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कैंप्यूटर शेयर, प्राईवेट लिमिटेड में मिलता है) आपके बैंक चेक की प्रति के साथ प्रस्तुत करें। आप, अपने बैंक खाता विवरण को बदलने के लिए भी इस प्रपत्र का उपयोग कर सकते है। कृपया पुष्टि करें कि ऐसे परिवर्तन की सूचना, कम से कम ई सी एस द्वारा लाभंश भुगतान के एक महीने पूर्व देना चाहिए। ई सी एस द्वारा लाभांश प्रेषण होने के बाद, हम आपके सूचना व रिकार्ड के लिए सूचना भेजते है जिसमें ई सी एस द्वारा प्रेषित लाभांश के विवरण हैं।

इलेक्ट्रानिक शेयरहोल्डिंग संबंधी बैंक विवरण : निक्षेपगार सहभागी के साथ खाता खेलते समय (डी पी) आपने अपने बैंक खाता विवरण दिया होगा, जिसे बैंक द्वारा लाभांश वसरेंटों पर मुद्रण या लाभांश वारेंट प्रेषण में उपयोगी होगा। इससे यह सुनिश्चित करते हैं कि अगर लाभांश वारंट गुम गया तो भी, उसे निर्धारित खाता में डालने/जमा करने के अलावा दूसरे उद्धेश्य के लिए उसे उपयोग नहीं किया जा सकता और इससे निवेशक का हित भी सुरक्षित रहेगा। यद्यपि, अगर आप पहले बताये गए खाता के अलावा किसी और खाता में लाभांश वारेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो, उसके बारे में परिवर्तन/सही खाता विवरण, डी पी से दे सकते हैं। अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि अपने बैंक खाता विवरण के साथ एम आई सी आर संकेतों को भी अपने डी पी के साथ भेजें।

पते में परिवर्तन : अगर आपको अपना पता बदलना है तो नये पते के बारे में बैंक के निवेशक संपर्क केंद्र/हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को सूचित करें ताकि उसे अपनी रिकार्ड में ले सकें। अगर आप इस सूचना में विलंब करेंगे तो, आपके लाभांश वारेंट, वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न संप्रेषण, बिना डिलिवरी के वापस लौटाए जायेंगे।

पते में किसी परिवर्तन की सूचना को शेयर धारक को स्वयं या प्रथम संयुक्तधारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता चाहिए। अगर बैंक में पंजीकृत हस्ताक्षर और इस हस्ताक्षर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो तो पत्र में किये गये हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन शेयरधारक द्वारा करना चाहिए।

शेयर प्रमाणपत्रों का विखंडन : अगर आप अपना एकल शेयर का विखंडन करना चाहते है तो, अपने अनुरोध को शेयर प्रमाण पत्र के साथ हमारे निवेशक संपर्क केंद्र/रजिस्ट्रार एवं मेसर्स कार्वी कैंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद से संपर्क कर सकते है।

शेयर होल्डिंग का एक फोलियो में समेकन : बैंक ने शेयर होल्डिंग को एक फोलियो में समेकन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस समेकन को एक फोलियो में करने के लिए शेयरधारक निवेशक संपर्क केंद्र/रजिस्ट्रार एवं मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद से संपर्क कर सकते है।

शेयर प्रमाणपत्रों की क्षति तथा शेयर प्रमाण पत्र की अनुलिपि जारी करना : शेयर प्रमाणपत्र के गुमशुदा पर, उसकी सूचना हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कैंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद पुलिस प्राधिकरण द्वारा प्राप्त एफ आई आर की प्रति को भी भेजना चाहिए। एफ आई आर प्रति

की प्राप्ति पर और सूचना पत्र पर निवेशक के हस्ताक्षर के सत्यापन के बाद, उन गुमशुदा सूचना पत्र पर निवेशक के हस्ताक्षर के सत्यापन के बाद, उन गुमशुदा शेयर प्रमाणपत्रों पर शेयर अंतरण एजेंट द्वारा 'अंतरण स्थगित ' लिखा जाता है। उसके बाद बैंक द्वारा, क्षतिपूर्ति बांड का मूल भेजा जाता है जो रु.100/- के न्यायिकेतर स्टॉप पेपर पर निष्पादन करना पडता है। अतः क्षतिपूर्ति के निष्पादन प्रति की प्राप्ति पर और समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना के बाद, बैंक शेयर प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करने को व्यवस्था करेगा।

प्रमाणपत्रों का नवीकरण : (कटे-फटे या गंदे प्रमाणपत्रों के बदले नये प्रमाणपत्र जारी करना)

अगर आपके प्रमाणपत्र कटे-फटे या गंदे हो गये है, तो आप उसे हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को ऐसे प्रमाणपत्रों के बदले, नये प्रमाणपत्रों जारी करने हेतु अभ्यर्पण कर सकते है।